

## शिक्षा विभाग, विहार, पटना।

प्रेषक,

वी० क० ओड़ा,  
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सभा मे।

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेटर,  
नई दिल्ली-110092

पटना, दिनांक

विषय : नॉबेल क्रिएटिव एकेडमी, वासुदेवपुर, चपुता, हार्जापुर, बैशाली को अनापत्ति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नॉबेल क्रिएटिव एकेडमी, वासुदेवपुर, चपुता, हार्जापुर, बैशाली को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में संदर्भित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन के साथ संलग्न उक्त विद्यालय प्रवंधन के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों/ कागजातों की सरक्षा विभाग की संक्षम सुनिति द्वारा की गयी एवं विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय नावेल क्रिएटिव फाउंडेशन, पटना के अधीन संचालित है। इस द्रष्टव्य में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का बॉरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रवंधक द्वारा किसी अन्य निर्वाचित सोसाइटी/न्यास के फेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 02.75 एकड़ भूखण्ड 32 वर्पा की लोज पर उपलब्ध है। विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 22 शिक्षक हैं। सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण सार्वाय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है अथवा नहीं।
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० वी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें स्वीकार हैं।

४८

2

**अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-**

- (i) विद्यालय में कुल भवनता वर्ग 26 प्रतिशत नि:शुल्क नामांकन पड़ास में निवास उत्तम वाल परिवार के बच्चों का किया जायगा तथा उनसे दृष्टिन शुल्क अधिका किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायगा। ऐसे बच्चों की श्रणी ने अनुसूचित आति, अनु० जनजाति, पिछड़ा धर्म, अस्थत पिउड़ा धर्म, अल्पसंख्यक, विकलाग वालिवगए तथा सामाज्य श्रणी के परिवार मिलकी आय ब्रतिपर्द रु०20,000/- (दो लाख रुपय नाम) से कम होगा, जो रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/क० जी० अधिका प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायगा। अगर नामांकन के लिए अवैदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो कुल तरीका जै Draw of Lots के साथ सामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायगा।
- (iii) नर्सरी/क० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवश लन वाल बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं साध्यमिक कक्षा में नामांकन हतु अधिकतम दूरी तान किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लीटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निर्देशन विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी ₹० रु० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो तें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित नापदण्ड के आधार पर संचालित हैं।

9. साथ ही बार्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहनिति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल का यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लंघन प्रांत्यवटस एवं वेवसाइट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायगी।

10. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जान संवर्धी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय विहार सरकार के शिक्षा विभाग अधिका र्यारथ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निर्देशन हतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपराक्त तथ्यो/वर्णित शर्तों के आलोक में सक्षम समिति के निर्णयानुसार नॉवेल क्रिएटिव एकेडमी, वासुदेवपुर, चपुता, हाजीपुर, वैशाली को ₹० रु० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दी जाती है।

**अनुलग्नक :-** जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली का जाँच प्रतिवेदन सलग्न।

विश्वासभाजन

₹०/-

(दी० के० ओङ्का)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापाक..... दिनांक.....

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली को उनके पत्रांक 485 दिनांक 18.04.2012 के प्रसग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

₹०/-  
विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापाक 595 दिनांक १५।५।१२

प्रतिलिपि : प्राचार्य, नॉवेल क्रिएटिव एकेडमी, वासुदेवपुर, चपुता, हाजीपुर, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेपित।

~~विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।~~